

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
छठा तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली ।

फा.सं0 5(01) 2025-2026-क0सं0एवं भाषा/पा0फा0/2369-2449

दिनांक: 24/08/2026

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली.

विषय: "हिन्दी दिवस" 14 सितम्बर, 2026 के अवसर पर माननीय मुख्य सचिव, दिल्ली का संदेश ।

महोदय,

दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ स्थानीय निकायों के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने, इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने और अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी में कार्य करने के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाये जाते हैं। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिये दिल्ली सरकार के समस्त विभागों को समय-समय पर आवश्यक निदेश भी जारी किये जाते हैं। चूंकि दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 में हिन्दी को दिल्ली की प्रथम राजभाषा घोषित किया गया है, अतः आवश्यक है कि जनसाधारण से सीधे सरोकार रखने वाले समस्त सरकारी कार्य राजभाषा हिन्दी में ही किये जाने चाहिए।

अतः 14 सितम्बर, 2026 को "हिन्दी दिवस" के अवसर पर मुख्य सचिव, दिल्ली के संलग्न संदेश को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के समस्त विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे अपने विभाग में हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने और अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के प्रति प्रेरित करने हेतु "हिन्दी दिवस" का आयोजन करें तथा अधिकाधिक उत्साहपूर्वक हिन्दी सप्ताह, हिन्दी पखवाड़ा मनायें। सभी विभागों से यह भी अनुरोध है कि इस पत्र के साथ संलग्न सूक्तियों का अधिक से अधिक प्रयोग करवाया जाये।

भवदीय



संलग्न: उपरोक्तानुसार

(शौर्यवीर सिंह)

उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

दिनांक: 24/08/2026

फा.सं0 5(01) 2025-2026-क0सं0एवं भाषा/पा0फा0/2450-2459

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिन्दी कार्यान्वयन समिति जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय, तीस हजारी, दिल्ली ।
6. अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (प्रशासन), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-01 ।
7. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली ।
8. दिल्ली सरकार के समस्त स्वायत्त निकाय/निगम, दिल्ली/नई दिल्ली ।
9. दिल्ली सरकार के अंतर्गत समस्त समितियाँ/बोर्ड/परिषद्/संगठन, दिल्ली/नई दिल्ली ।
10. कला, संस्कृति एवं भाषा की वेबसाइट पर उपलोड करने के संदर्भ में।



(शौर्यवीर सिंह)

उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)



हिन्दी हमारी राष्ट्रीय भाषा, हमारी पहचान है।
आइये इसका प्रयोग करके इसको सम्मान दें।

संदेश
हिन्दी दिवस
14 सितम्बर, 2026

हिन्दी दिवस के पावन अवसर पर मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

14 सितम्बर का दिन हमारे लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितम्बर, 1949 को देवनागरी लिपि में हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया था। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 14 सितम्बर 'हिन्दी दिवस' के रूप में मनाया जाता है। हिन्दी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय एकता और भारतीय अस्मिता की सशक्त अभिव्यक्ति है। यह विविधताओं से परिपूर्ण हमारे देश को भावनात्मक रूप से जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम भी है।

दिल्ली सरकार राजभाषा हिन्दी के संवर्धन, प्रचार-प्रसार एवं सरकारी कार्यों में इसके अधिकाधिक प्रयोग के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग से न केवल शासन व्यवस्था अधिक सुगम एवं पारदर्शी बनती है, बल्कि आम नागरिकों के साथ संवाद भी अधिक प्रभावी एवं सहज होता है। यह आवश्यक है कि हम राजभाषा नीति के उद्देश्यों को आत्मसात करते हुए अपने दैनिक कार्यों में हिन्दी का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करें।

वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्रशासन के विस्तार के साथ हिन्दी की उपयोगिता और भी बढ़ गई है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आधुनिक तकनीक के साथ हिन्दी का समन्वय स्थापित हो तथा शासन और जनसंपर्क के प्रत्येक स्तर पर हिन्दी का प्रभावी प्रयोग किया जाए।

मेरा समस्त विभागाध्यक्षों से निवेदन है कि हम सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाए जिसमें सब अपना अधिक से अधिक कामकाज हिन्दी में करें तथा अपने सभी सहकर्मियों को इस दिशा में और अधिक प्रेरित तथा प्रोत्साहित करें। मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि हिन्दी में काम करने के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से इस अवसर पर अपने विभागों में हिन्दी दिवस, हिन्दी सप्ताह, हिन्दी पखवाड़े आदि कार्यक्रमों का आयोजन करें। मुझे विश्वास है कि हम सभी हिन्दी को प्रशासन, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और जनसंचार के क्षेत्र में और अधिक सशक्त बनाने के लिए अपना सक्रिय योगदान देंगे।

आइए, हिन्दी दिवस के इस अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देंगे तथा इसे राष्ट्र निर्माण और सुशासन का प्रभावी माध्यम बनाने में अपना योगदान देंगे।

आप सभी को हिन्दी दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएँ।

(मुख्य सचिव)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

हिन्दी भाषा से संबंधित सूक्तियां

1. हिन्दी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है, जिसे बिना भेदभाव के प्रत्येक भारतीय ग्रहण कर सकता है।
2. हिन्दी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।
3. भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिन्दी महानदी।
4. आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए।
5. हिन्दी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और दृढ़ करती है।
6. हिन्दी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है।
7. हिन्दी अपनाइये, देश का गौरव बढ़ाइये।
8. हिन्दी में काम करना सरल है, आज ही शुरू कीजिए।
9. हिन्दी के माध्यम से ही राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधा जा सकता है।
10. हिन्दी में काम बहुत आसान, समझना आसान, समझाना आसान।
11. हिन्दी हमारी राष्ट्रीय भाषा, हमारी पहचान है। आइये इसका प्रयोग करके इसको सम्मान दें।
12. भारत की सभी भाषाएं बढ़ें। संघ का काम हिन्दी में करें।
13. राष्ट्रीय एकता की कुंजी है हिन्दी।
14. हिन्दी हम सबकी अपनी ही भाषा है, इसके प्रयोग में संकोच क्यों?
15. हिन्दी राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय एकता का माध्यम है।
16. हिन्दी में सोचें, हिन्दी में लिखें।
17. सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग गौरव की बात है।
18. हिन्दी में काम करते समय सरल भाषा अपनाएं।
19. हिन्दी अपनाएं, देश का मान बढ़ाएं।
20. हम सब का अभिमान है हिन्दी, भारत देश की शान है हिन्दी।
21. हिन्दी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।
22. हिन्दी भाषा को बढ़ावा दीजिए। राष्ट्रभाषा का सम्मान कीजिये।।
23. राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है।
24. हिन्दी का सम्मान बढ़ेगा, तभी देख का मान बढ़ेगा।
25. "हर भाषा का अपना है सम्मान, पर हिन्दी है भारत की पहचान।
सरलता का देती है ज्ञान, हिन्दी में ही है सबका मान।"